फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती भंवरकुंवर **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 48/20**

जीसीएमएस : 2020/00109

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 27.06.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता वादीगण व राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश कर निवेदन किया कि ग्राम निम्बोलो का गुडा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 763, 1218, 1222, 1223, 1260, 1279 किता 6 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1261, 1399 किता 2 रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रायसिंह के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। रायसिंह फौत हो चुके है एवं रायसिंह के कोई जायन्दा सन्तान नहीं होने से रायसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करने हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। राजपेरोकार मावली हाल घासा द्वारा प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण किया जाने का निवेदन किया। हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम निम्बोलो का गुडा पटवार हल्का घासा की आराजी नम्बर 763, 1218, 1222, 1223, 1260, 1279 किता 6 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 1261, 1399 किता 2 रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में रायसिंह पिता उदयसिंह के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज हैं। रायसिंह पिता उदयसिंह फौत हो चुके हैं। जिनके जायन्दा सन्तान नहीं हैं। वादीगण का कथन है कि हम ही रायसिंह पिता उदयसिंह के निकटम वारिसान हैं। तहसीलदार द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं करने से घोषणा चाही गई हैं। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक 599 दिनांक 23.06.2022 के अनुसार उदयसिंह के एक पुत्र सन्तान रायसिंह तथा तीन पुत्रियां प्रताबबाई, रूपाबाई, भमरबाई हैं। पुत्र रायसिंह फौत हो चुका है तथा रायसिंह की पत्नी भी फौत हो चुकी हैं तथा पुत्री प्रताबबाई की भी मृत्यु हो चुकी हैं जो तहसील नाथद्वारा में रहती थी। जिसके वारिसानों के नाम की सही जानकारी नहीं लगने से विरासत का नामान्तरकरण नहीं खोला गया। तहसीलदार को पुनः रायसिंह व प्रतापकुंवर के विधिक वारिसान की रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा पुनः पत्रांक 592 दिनांक 05.04.2023 से रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रतापकुंवर पुत्री उदयसिंह पत्नी बसंन्तसिंह के विधिक वारिसान की जांच पटवारी हल्का जावड से करवाई गई जो मूल ही रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश हैं। पटवारी हल्का जावड अनुसार प्रतापकुंवर पुत्री उदयसिंह पत्नी बसन्तसिंह राजपूत के कोई भी पुत्र एवं पुत्री नहीं हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह तो	

स्पष्ट हो गया कि खातेदार रायसिंह पिता उदयसिंह की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तरकरण पारित किया जाना था। तहसीलदार द्वारा विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं किये जाने से घोषणा का दावा वादीगण द्वारा किया गया जबकि नियमों में स्पष्ट है कि खातेदार की मृत्यु के पश्चात् विरासत के नामान्तरण से ही भूमि फौत खातेदार के वारिसान के नाम दर्ज हो सकती हैं। तहसीलदार द्वारा न्यायालय में वारिसान बताये गये हैं। अतः तहसीलदार को विरासत का नामान्तरकरण पारित किया जाना चाहिए था। यदि न्यायालय द्वारा फौत खातेदार के विरूद्व वादीगण को घोषणा की दाद दी जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो तहसीलदार के क्षेत्राधिकार का हनन होगा। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण खारिज योग्य पाया जाता हैं तथा तहसीलदार घासा को विरासत का नामान्तरकरण पारित करने हेतु आदेशित किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः वाद वादीगण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज कर डिक्री किया जाता हैं साथ ही तहसीलदार घासा को आदेशित किया जाता है कि फौत खातेदार रायसिंह पिता उदयसिंह की हिस्सा भूमि में वारिसान की जांच करते हुए नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत : सहायक कलक्टर (SDO) मावली

बईजलास : मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्रीमती भंवरकुंवर पत्नी हिरसिंह पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।
2. श्रीमती रूपाकुंवर पत्नी नगसिंह पुत्री उदयसिंह राजपूत निवासी पालवासकलां तह. मावली।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी पटवार हल्का घासा तह. मावली।
3. ग्राम पंचायत घासा तह. मावली।

..........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 48/20 (वाद) GCMS No. – 2020/00109

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादीगण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज कर डिक्री किया जाता हैं साथ ही तहसीलदार घासा को आदेशित किया जाता है कि फौत खातेदार रायसिंह पिता उदयसिंह की हिस्सा भूमि में वारिसान की जांच करते हुए नियमानुसार विरासत का नामान्तरकरण दर्ज कर पारित करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.06.2024 को जारी की गई।

(मनसुख राम डामोर R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO) मावली
जिला उदयपुर